न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 02/2015

उनवान

ग्राम जालमपुरा के प्रतिनिधिगण

1 घासी पिता सुवालाल जाट , निवासी जालमपुरा तहसील हुरडा ।
2 पुखराज पिता नारायण जाट, निवासी जालमपुरा तहसील हुरडा।
3 पांचू नाथ पिता छीतर नाथ योगी, निवासी जालमपुरा तहसील हुरडा।
4 माधु पिता भैरु जाट, निवासी जालमपुरा, तहसील हुरडा।
5 गोदू पिता हजारी जाट, निवासी जालमपुरा तहसील हुरडा ।
6 रामकुँवार पिता सोनाथ जाट, निवासी केलु जी का खेडा, तह. हुरडा।
7 शिवराज पिता कल्याण जाट, निवासी केलु जी का खेडा, तह. हुरडा ।
8 छगना पिता मगना जाट, निवासी केलु जी का खेडा, तह. हुरडा।
9 चतुर्भुज पिता गोदू जाट, निवासी केलु जी का खेडा, तह. हुरडा ।

–वादीगण

बनाम

1 सम्पत पिता सांवरलाल जी जाट , निवासी जालमपुरा तहसील हुरडा ।
2 तहसीलदार हुरडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री राजेश पारीक पैरोकारराज — वकील वादी । प्रतिवादी संख्या–2

वादपत्र अर्न्तगत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक– 29.06.2018

1– वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि मौजा ग्राम जालमपुरा तहसील हुरडा की केलु जी का खेडा के पास स्थिति आराजी नम्बर– 2191 रकबा 03 बिस्वा गे.मू.चाह बिलानाम गैर काबिलकाशत दर्ज रिकार्ड है जिस पर ग्राम की सार्वजनिक कुई निर्मित होकर उसके ग्राम के सभी पशु पानी पीते है एवं उक्त आराजीयात में खडे वृक्षों के नीचे आराम करते है एवं पशु चरते है ।

2– कलम नम्बर–1 में वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा सन् 2012 में अतिक्रमण कर उक्त सार्वजनिक कुई के चारों और काटों की बाड लगाकर अपने कब्जे में लेकर उक्त सार्वजनिक कुई से ग्राम वासियों के पशुओं को पीने का पानी बन्द कर दिया था जिस पर ग्राम के ही रामकुँवार पिता सोना जाट द्वारा उपखण्ड अधिकारी महादेय

सहा. कलेक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहा. कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
जि.-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

गुलाबपुरा तहसीलदार हुरडा को सार्वजनिक कुई से अतिक्रमण हटाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिस पर जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पत्र क्रमांक एफ 41 – 2 (1) (ब)/ 04/ सर्तकता /2012/927 दिनांक 26.06.2012 के विकास अधिकारी हुरडा को विस्तृत जॉच कर कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था जिस पर विकास अधिकारी पचायंत समिति हुरडा द्वारा कमांक/492/दिनांक 18.07.2012 को ग्राम सेवक जालमपुरा को कार्यवाही कर दिनांक 23.07.2012 तक पेश होने हेतु आदेशित किया गया था ।

3– विकास अधिकारी पचायंत समिति हुरडा के आदेशानुसार पटवारी हल्का जालमपुरा ने मौके पर उपस्थित होकर सार्वजनिक कुई के अतिक्रमण हटवाया व बताया कि अतिक्रमण चारागाह में है अन्दर हल्का आबादी में अतिक्रमण नही है व उक्त सूचना राजस्व विभाग से सम्बन्धित है ।

4– पटवारी हल्का द्वारा वादी सख्या–1 से उक्त अतिक्रमण हटवाकर कुई व उक्त आराजीयात को ग्राम वासियों के लिए अतिक्रमण मुक्त करवाने के लगभग 6 माह बाद ही प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा पुनः अतिक्रमण कर ग्राम के पशुओं का पानी पीना बन्द कर दिया तथा पशुओं को चरने से मना करने लगा तथा उलाहना देने पर कहता की मै बी.एस. एफ. में हुँ , गोली से उडा दूंगा जिस पर ग्राम वासियों ने तहसीलदार हुरडा को इस सम्बन्ध में रिपोर्ट दी परन्तु प्रतिवादी सख्यां–1 प्रभावशाली व्यक्ति होने से कार्यवाही नही की गई जिससे प्रतिवादी संख्या–1 के होसले बुलन्द हो गये व ग्राम जालमपुरा की आराजी नम्बर– 2191 रकबा 03 बिस्वा सम्पूर्ण पर कब्जाकर अपने उपयोग में लिया जा रहा है । जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है , अन्यथा वादीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति कादापि सम्भव नही है ।

5– वादीगण व ग्रामवासियों द्वारा पूर्व में जितनी ही बार प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित में व मौखिक से कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया था परन्तु कार्यवाही नही होने से उकत वाद पत्र श्रीमान के समक्ष नियत समायावधि में पेश है ।

6– प्रतिवादीगण द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के पास कार्यवाही हेतु जाने के पश्चात भी कार्यवाही नही होने पर प्रतिवादी नम्बर– 1 ने दिनांक 31.12.2014 को उक्त आराजीयात में बिना हक अधिकार के दो हरे बंबुलो को काट कर अपने उपयोग में ले लिया है जिसकी रिपोर्ट देने पर भी कार्यवाही नहीं हुई एवं उक्त वृक्षों को काटने व अतिक्रमण भवन में क्षैत्र में पशुओं के पानी पीने व चरने से मना कर दिया इस कारण वाद पत्र प्रस्तुत करने की नोईयत आई है।

7– अन्त में अंकित किया कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या–1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि वो स्वयं एवं अन्य किसी से ग्राम जालमपुरा की आराजी नम्बर– 2191 रकबा 03 बिस्वा गे.मू.चाह में अतिक्रमण नही करें, करावें व ग्राम के पशुओं को पानी पीने चरने बैठने से रोके नही

Scanned by CamScanner

व उक्त आराजीयत में लगे हरे व सुखे वृक्षों को काट कर अपने उपयोग में ना लेवे ।

8– प्रस्तुत वाद पत्र वाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 की ओर से उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 05.04.2016 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या– 2 के पेरोकारराज का पद रिक्त होने से जवाबदावा प्रस्तुत नही हुआ ।

9– प्रकरण में वादपत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक 28.02.2017 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गई–

तनकी नं.–1	आया कलम नम्बर– 1 में वर्णित आराजीयात बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है, जिस पर ग्राम की सार्वजनिक कुई निर्मित होकर गॉव के सभी पशु पानी पीते है ।	–वादी
तनकी नं.–2	आया वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादी सं–1 से सन् 2012 में अतिक्रमण कर उक्त सार्वजनिक कुई के चारो और कॉटो की बाड लगाकर अतिक्रमण कर ग्रामवासियों के पशुओं को पीने के पानी से वंछित कर रखा है ।	–वादी
तनकी नं.–3	आया वाद पत्र की कलम नम्बर–04 में वर्णित कारणों से वादीगण प्रतिवादी संख्या– 1 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है ।	–वादी
तनकी नं.–4	आया जवाबदावा की कलम नम्बर– 12 में वर्णित कारणों से दावा वादी चलने योग्य नही है ।	–प्रतिवादी
तनकी नं.–5	आया जवाबदावा की कलम नम्बर– 13 में वर्णित कारणों से दावा वादी चलने योग्य नही है ।	–प्रतिवादी
तनकी नं.–6	आया जवाबदावा की कलम नम्बर– 14 में वर्णित कारणों से दावा वादी चलने योग्य नही है ।	–प्रतिवादी
तनकी नं.–7	आया वादीगण प्रतिवादी को नाजायज परेशान करने के लिये उक्त वाद पत्र पेश किया है, जो चलने योग्य नही है ।	–प्रतिवादी
तनकी नं.–8	आया जवाबदावा की कलम नम्बर– 24 में वर्णित कारणों से दावा वादी चलने योगय नही है ।	–प्रतिवादी
तनकी नं.–9	अनुतोष ।	

10 तत्पश्चात पत्रावली आज लोक अदालत वृत केम्प में पेश हुई । वकील वादी व पान्चू, शिवराज उपस्थित हुये । वकील प्रतिवादी को विधिवत् आवाजें लगवाई गई किन्तु वह अनुपस्थित रहे । प्रतिवादी संख्या– 2

Scanned by CamScanner

के पेरोकारराज उपस्थित हुयें । वकील वादी की इस्तदुआ पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था की ग्राम केलु जी का खेडा के पास आराजी नम्बर– 2191 रकबा 93 बिस्वा भूमि गे0मू0चाह बिलानाम दर्ज है। जिस पर ग्राम की सार्वजनिक कुई बनी हुई है, उसमें गॉव के सभी पशु पानी पीते है। उक्त कुई पर प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा सन् 2012 से अतिक्रमण कर चारों और कॉटों की बाड लगा रखी है। उक्त अतिक्रमण हटानें के लिये ग्रामवासियों के द्वारा काफी प्रयास किये जाने के उपरान्त भी उक्त अतिक्रमण नही हट पाया है । अन्त में कथन किया कि उक्त सार्वजनिक कुई से प्रतिवादी का अतिक्रमण हटवाया जाकर उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावें । पेरोकारराज का कथन था कि प्रकरण में विवादित आराजीयात की खाते की नकल प्रस्तुत नही की गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी खारिज फरमाया जावें ।

11 मेनें उभयपक्ष को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से है–

12 वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर ग्राम केलु जी खेडा के पास स्थित आराजी नम्बर– 2191 रकबा 03 बिस्वा भूमि गेरमुस्तकिल चाह बिलानाम होना बताया गया है तथा उस पर सार्वजनिक कुई निर्मित है जिस पर प्रतिवादी संख्या–1 का चारो और बाड लगाकर अतिक्रमण करना बताया गया है किन्तु उनके द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की राजस्व रिकार्ड की प्रति प्रस्तुत नही करने से यह स्पष्ट नही हो पा रहा है विवादित आराजी नम्बर– 2191 रकबा 03 बिस्वा गे0मू0चाह बिलानाम भूमि है अथवा किसी खातेदार की । वादीगण के द्वारा यह वाद पत्र प्रतिनिधिगण की हैसियत से प्रस्तुत किया गया है । आदेश–1 नियम–8 जाप्ता दीवानी के तहत प्रतिनिधित्व वाद के लिये कम से कम 12 व्यक्तियों का होना आवश्यक है किन्तु यह वाद 09 व्यक्तियों के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है तथा वादग्रस्त आराजीयात के सम्बन्ध में किसी प्रकार का राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत नही करने से दावा वादी खारिज योग्य है । जैसा कि प्रतिवादी संख्या–1 ने अपने जवाबदावा के कलम नम्बर– 12 में यह अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात का मालिकाना हक व कब्जा राज्य सरकार में निहित होना बताया जाने से यह स्पष्ट हुआ है कि विवादित आराजीयात बिलानाम भूमि है और प्रतिवादी संख्या–1 उस पर अतिक्रमी के हैसियत से काबिज होकर ग्राम के पशुओं को सार्वजनिक कुई से पानी पीने से वंचित किया जा रहा है। यदि प्रतिवादी को नही रोका गया तो उसके होसले बुलन्द होंगे और अतिक्रमण को बढावा मिलेगा । ऐसी स्थिति में राजकीय सार्वजनिक भूमि पर प्रतिवादी संख्या–1 को अतिक्रमण करने का कोई हक अधिकार नही होने से न्यायालय तहसीलदार हुरडा को यह निर्देश दिया जाना न्यायहित में उचित समझता है कि –

–: निर्णय :–

दावा वादी खारिज किया जाता है । तथा तहसीलदार हुरडा

Scanned by CamScanner

को यह निर्देशित किया जाता है कि ग्राम जालमपुरा की आराजी नम्बर– 2191 रकबा 03 बिस्वा भूमि गे.मू.चाह यदि बिलानाम खाता संख्या–1 में दर्ज है तो उक्त भूमि से तुरन्त प्रतिवादी संख्या–1 का अतिक्रमण हटवाया जाकर सार्वजनिक कुई को अतिक्रमण से मुक्त करा न्यायालय को अवगत करावें । तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो । निर्णय की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु तहसीलदार हुरडा को भिजवाई जावें । पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 29.06.2018 को खुली अदालत में सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner